

**कृषि विभाग**  
**राज्य पशु चिकित्सा परिषद**  
**(STATE VETERINARY BOARD)**

संख्या: 10796/2020 दिनांक: 15.11.2020

**समाचार पत्र**

विशेष सूचना के अन्तर्गत राज्य पशु चिकित्सा परिषद द्वारा राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्रों को आमंत्रित किया गया है।

आवेदन पत्रों को राज्य पशु चिकित्सा परिषद, एन.ए.सी. बिल्डिंग, एन.ए.सी. कैंम्प, दिल्ली-110054 तक पहुंचाना है।

आवेदन पत्रों को राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष, राज्य पशु चिकित्सा परिषद, एन.ए.सी. बिल्डिंग, एन.ए.सी. कैंम्प, दिल्ली-110054 तक पहुंचाना है।

आवेदन पत्रों को राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष, राज्य पशु चिकित्सा परिषद, एन.ए.सी. बिल्डिंग, एन.ए.सी. कैंम्प, दिल्ली-110054 तक पहुंचाना है।

विशेष सूचना में उल्लिखित विस्तार इन पदों पर पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाएँ, जो पारंपरिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सचयनक से पूर्व से सम्बद्ध है, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सामूह्य अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अमुकम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-11-2020 को आयुक्त, सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय लिये जायता निर्णय के अमुकम में निम्न संस्थाओं को पारंपरिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तार प्रदान करने के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उक्त निर्णय प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जायता है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीठसी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	2:20	विश्वविद्यालय जयपुर एन.ए.सी. बिल्डिंग एन.ए.सी. कैंम्प दिल्ली-110054	विश्वविद्यालय जयपुर एन.ए.सी. बिल्डिंग एन.ए.सी. कैंम्प दिल्ली-110054	एन.ए.सी. बिल्डिंग एन.ए.सी. कैंम्प दिल्ली-110054	एन.ए.सी. बिल्डिंग एन.ए.सी. कैंम्प दिल्ली-110054

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र 2020-21 के अन्तर्गत पीठसी०आई० द्वारा विस्तार प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूर्णतः सम्बद्धता प्रदान की जायता है।
- ✓ सत्र 2020-21 के अन्तर्गत पीठसी०आई० द्वारा विस्तार प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूर्णतः सम्बद्धता प्रदान की जायता है।

— 2 —



कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय न्याय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2105-TRIRUPATI COLLEGE OF ENGINEERING , VILL-BENDOWA BLOCK-MOHANLALGANJ,RAWBARELI ROAD,LUCKNOW-226026

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पूःसं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरिपि :-

प्रधानाचार्य/निदेशक, TRIRUPATI COLLEGE OF ENGINEERING, VILL-BENDOWA BLOCK-  
MOHANLALGANJ, RAWBARELI ROAD, LUCKNOW-226026



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।
- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।
- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।
- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।
- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।
- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।
- ✓ सरकारी नौकरियों में वर्क-लाइव प्रोग्रामों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जाता है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख उद्योगों में काम करने का एक और विकल्प प्रदान करता है।

(एफडीआर0 खान)  
सचिव

दस्तावेज: प्रसिद्धिपत्रिका संख्या/2022/10734-10769

दिनांक: 15/12/2022

संस्था: श्रीगुरुकुल इंजीनियरिंग कालेज, विल-बिन्दोवा ब्लॉक, मोहनलालगंज, राबादेली रोड, लखनऊ

(एफडीआर0 खान)  
सचिव